बिहार सरकार

# पशुपालन निदेशालय, बिहार

ई-मेल - dirahd-bih@nic.in वेबसाइट - ahd.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक- 10 नि0 (यो0) 05/2016......948 (PR) दिनांक- 22/03/2018

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा0प्र0से0,
निदेशक, पशुपालन।

सेवा में,

Email, Website

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी,
बिहार।

**विषय :— वित्तीय वर्ष 2016—17 में ''समेकित मुर्गी विकास योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के विशेष घटक के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के चयन हेतु व्यापक प्रचार—प्रसार के संबंध में।**

महाशय,

बिहार राज्य अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत "लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना" संचालित है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में अंडा उत्पादन में वृद्धि करने हेतु 5,000 एवं 10,000 लेयर मुर्गी की क्षमता वाले फार्म की स्थापना, जिस पर क्रमशः अधिकतम कुल 48.00 (अड़तालिस लाख) रूपये एवं 85.00 (पचासी लाख) रूपये की अनुमानित लागत आकलित है, की स्थापना लागत पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 40 प्रतिशत तथा बैंक ऋण के ब्याज (Interest Component) पर 4 वर्षो तक 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी। समेकित मुर्गी विकास योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016—17 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के चयन हेतु दो बार विज्ञापन के बावजूद भी लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों का चयन नहीं किया जा सका है। अभी भी इन वर्गो में लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना हेतु बड़ी संख्या में लाभुकों का चयन विज्ञापन के माध्यम से किया जाना है। इन वर्गो के लोगों को योजना का अधिकतम लाभ पहुँचाने के लिए व्यापक प्रचार—प्रसार के साथ—साथ हेतु योजना की जानकारी एवं ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी अंकित करते हुए लिफलेट तैयार किया गया है, जिसकी 500—500 प्रतियाँ आप सभी को दिनांक—14.03.2018 को विभागीय मासिक बैठक में इस योजना का ग्राम स्तर तक व्यापक प्रचार—प्रसार करने हेतु उपलब्ध करायी गयी है। साथ ही इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु जिला कार्यालय में विशेष कोषांग गठित किया जाये एवं उसके माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के इच्छुक अभ्यर्थीयों को योजना एवं ऑनलाईन आवेदन सही ढ़ंग से भरने के के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जाये।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।